रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01122025-268113
CG-DL-E-01122025-268113

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5312] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 28, 2025/अग्रहायण 7, 1947
No. 5312] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 28, 2025/AGRAHAYANA 7, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2025

का.आ. 5493(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के अजमेर जिले की भिनाय तहसीलमें "जयपुर-किशनगढ़-अजमेर-जोधपुर-अमृतसर जामनगर कॉरिडोर के साथ इंटरचेंज कनेक्टिविटी" (कि.मी. 110.000से कि.मी. 113.500) के निर्माण (चैड़ीकरण/4/6 लेन का बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, भिनाय, को लिखित रूप मे किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगें और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप मे या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य मे परियोजना के कि.मी.110.000से कि.मी. 113.500 जयपुर-किशनगढ़-अजमेर-जोधपुर-अमृतसर जामनगर कॉरिडोर के साथ इंटरचेंज सेक्शन) के लिये अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान			जिले का नाम: अजमेर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: भिनाय					
गांव का नाम: कुम्हारिया					
1	1	सरकारी	गै. मु. चारागाह	7.7771 (हेक्टेयर)	7.7771
2	129	सरकारी	बारानी 3	0.0095 (हेक्टेयर)	0.0095
3	136	निजी	बारानी 3	0.0651 (हेक्टेयर)	0.0651
4	137	निजी	बारानी 3	0.3147 (हेक्टेयर)	0.3147
5	138	निजी	बारानी 3	0.4326 (हेक्टेयर)	0.4326
6	139	निजी	बारानी 3	0.24 (हेक्टेयर)	0.24
7	140	सरकारी	गै. मु. मोरी	0.082 (हेक्टेयर)	0.082
8	141	सरकारी	बारानी 3	0.15 (हेक्टेयर)	0.15
9	142	निजी	बारानी 3	0.1714 (हेक्टेयर)	0.1714
10	143/4230	सरकारी	बारानी 3	0.1446 (हेक्टेयर)	0.1446

11	148	निजी	बारानी 3	0.102 (हेक्टेयर)	0.102
12	149	निजी	बारानी 3	0.1642 (हेक्टेयर)	0.1642
13	150	निजी	बारानी 3	0.0886 (हेक्टेयर)	0.0886
14	151	निजी	बारानी 3	0.0596 (हेक्टेयर)	0.0596
15	152	निजी	बारानी 3	0.0527 (हेक्टेयर)	0.0527
16	349	सरकारी	गै. मु. रास्ता	0.0059 (हेक्टेयर)	0.0059
17	355	निजी	बारानी 3	0.1267 (हेक्टेयर)	0.1267
				Total	**9.9867**

[फा. सं. 260890/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2025

S.O. 5493(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening, Six/Four laning, etc), maintenance, management and operation of Jaipur-Kishangarh-Ajmer-Jodhpur-Interchange with Amritsar-Jamnagar Corridor Section in the stretch of land from Km. 110.000 to Km. 113.500 in Tehsil Bhinay in the District of Ajmer in the State of Rajasthan**,** hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Sub Divisional Magistrate, Bhinay in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 110.000 to Km. 113.500 (Jaipur-Kishangarh-Ajmer-Jodhpur-Interchange with Amritsar-Jamnagar Corridor Section) Project Highway in the State of Rajasthan

State: RAJASTHAN			**District: Ajmer**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Local Unit)**	**Area (in Hectares)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Bhinay					
Village: Kumhariya					
1	1	Government	Ge. Mu. Charagah	7.7771 (Hectare)	7.7771

2	129	Government	Barani 3	0.0095 (Hectare)	0.0095
3	136	Private	Barani 3	0.0651 (Hectare)	0.0651
4	137	Private	Barani 3	0.3147 (Hectare)	0.3147
5	138	Private	Barani 3	0.4326 (Hectare)	0.4326
6	139	Private	Barani 3	0.24 (Hectare)	0.24
7	140	Government	Ge. Mu. Mori	0.082 (Hectare)	0.082
8	141	Government	Barani 3	0.15 (Hectare)	0.15
9	142	Private	Barani 3	0.1714 (Hectare)	0.1714
10	143/4230	Government	Barani 3	0.1446 (Hectare)	0.1446
11	148	Private	Barani 3	0.102 (Hectare)	0.102
12	149	Private	Barani 3	0.1642 (Hectare)	0.1642
13	150	Private	Barani 3	0.0886 (Hectare)	0.0886
14	151	Private	Barani 3	0.0596 (Hectare)	0.0596
15	152	Private	Barani 3	0.0527 (Hectare)	0.0527
16	349	Government	Ge. Mu. Rasta	0.0059 (Hectare)	0.0059
17	355	Private	Barani 3	0.1267 (Hectare)	0.1267
				Total	**9.9867**

[F. No. 260890/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
AMIT KUMAR JAISWAL Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL
Date: 2025.12.01 15:34:58 +05'30'